न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या **108/2021** अन्तर्गत धारा **131, 136** RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. जेरामाराम पुत्र पेमाराम 2. तुलछाराम पुत्र पेमाराम 3. पूनमाराम पुत्र पेमाराम 4. मूलाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट, निवासी थूम्बली तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. आईदानराम पुत्र मानाराम 2. कानाराम पुत्र मानाराम 3. मगाराम पुत्र मानाराम जाति जाट, निवासी थूम्बली तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण :– श्री जेठाराम कुमावत।
2. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 3 :– श्री बालाराम गोदारा।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 15.03.2024

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ग्राम गिरल, तहसील शिव के खसरा नम्बर 83 रकबा 13.1280 हैक्टेयर की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के सेढासेढ ही विप्रार्थी संख्या 1 से 3 का खेत खसरा नम्बर 210/83 रकबा 13.1361 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त विवादित आराजी पूर्व में मूल खसरा नम्बर 83 थी, जिसका बाद में प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा करवाया जाकर अपने कब्जा काश्त अनुसार काबिज काश्त हुए है। उस समय जो नामांतरकरण पारित किया गया था, जो सही था। परन्तु वर्तमान में उक्त नक्शा पुराना एवं फटा हुआ होने से विप्रार्थीगण द्वारा हल्का पटवारी से मिलीभगत कर राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा में गलत तरमीम अंकित करवा दी गई है। उक्त लट्ठा नक्शा की तरमीम से प्रार्थीगण के रहवासी घर एवं कब्जा काश्त विप्रार्थीगण की खातेदारी में चला गया है। उक्त गलत तरमीम से लट्ठा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के खसरा नम्बर 83 व 210/83 में राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई गलत त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर माफिक कब्जा काश्त एवं सहमति बंटवारा के समय कपड़े पर अंकित नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। विप्रार्थी संख्या 1 से 3 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर उनका जवाब का अवसर बंद किया गया। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर विद्यमान तरमीम एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम में भिन्नता है तथा पूर्व के कपड़ा पर अंकित नक्शा अनुसार भी भिन्नता है। राजस्व रेकर्ड में विवादित आराजी के खसरा नम्बर 83 व 210/83 को उल्टा दर्शाया गया है, जिससे दुरस्त करते हुए मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार दुरस्त किया जाना उचित बताया गया है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट पुराना कपड़ा पर अंकित नक्शा एवं मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही होने से मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया। विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा मौके पर पक्षकारान् के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्ती का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तथा पुराना कपड़े के नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती को प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया जाकर सहमति प्रदान की गई है। विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा भी जवाब प्रस्तुत नहीं करते हुए मौके पर पक्षकारान् के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्ती का निवेदन किया गया है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गिरल, तहसील शिव के खसरा नम्बर 83, 210/83 रकबा क्रमशः 13.1280, 13.1361 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 15.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)